

19.10.2025:-पत्रावली पेशी मे ली गई। अभिषेकगण उपस्थित।  
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही  
न चाहते हुए फर्द अहकाम पर not press का  
अंकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र  
को not press करने पर प्रार्थना पत्र वर्तमान  
स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से  
कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

Notpress  
As/Amas Adu  
29.10.25  
(अनुमानाधिकारी)